दिनांक 27.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ निगम क्षेत्र के व्यस्तम बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग कर रहें दुकानों पर छापा मारकर लगभग 30 किलो विभिन्न ब्राण्ड के कैरीबैग जप्त किया गया है।

आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर निगम के उड़नदस्ता तथा स्वास्थ्य अमला की टीम ने सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, मटन तथा मछली मार्केट के लगभग 50 दुकानों में छापामार कार्यवाही कर ग्राहकों को सामान देने के लिए दुकान में रखे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग को जप्त किया। जांच टीम वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक ए0के0 शर्मा के नेतृत्व में शरद दुबे, रामायण सिंह, बीरबल, सीधे मटन मार्केट में संचालित सिद्धिकी ट्रेडर्स में जांच करने पहुंची। जहॉ से प्रतिबंधित प्लास्टिक भण्डारण कर रखे विभिन्न ब्राण्ड के 27 किलो कैरीबैग जप्त किया जिसकी सूचना स्वास्थ्य अधिकारी अशोक पहाड़िया को दिया गया और उनकी मौजुदगी में जप्त कैरीबैग को वजन कराकर पंचनामा तैयार किया गया उसके बाद टीम के सदस्यों ने सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट के लगभग 50 दुकानों की जांच कर उपयोग के लिए रखे कैरीबैग को जप्त किया गया। इधर पावर हाउस चौक में लगने वाले फल दुकान ठेले खोमचो की जांच तोड़फोड़ दस्ता के प्रभारी यतीन्द्रनाथ देवांगन, के टीम द्वारा किया गया और उनसे ग्राहकों को दिये जाने हेतु रखे कैरीबैग जप्त किया गया।

आयुक्त श्री चौहान ने निगम क्षेत्र के सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि प्लास्टिक कैरीबैग को शासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जिसका उपयोग तथा भण्डारण एवं विक्रय अपराध की श्रेणी में माना गया है ऐसा करते पाये जाने पर नगर पालिक अधिनियम के धाराओं के तहत् कार्यवाही किया जायेगा। जांच हेतु गठित टीम द्वारा जांच की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। जांच टीम में सुरज सिंह, हेमकुमार, गणित बघेल, रिखीराम, शेखर कुमार, एवं तोड़फोड़ दस्ता के सभी सदस्य शामिल थे।

जनसम्पर्क अधिकारी